महत्वपूर्ण/समयबद्ध

रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव।

अर्द्ध शा०प०सं० 701/चौवालिस-2-1995

उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
लखनऊः दिनांकः 1 जून, 1995

प्रिय महोदय,

कृपया विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 24-5-95 में उठाये गये बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने विषयक मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सं० 44/पीएस एमएस/1995, दिनांक 25 मई, 1995 का सन्दर्भ लें।

2- इस सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा इस बात पर असंतोष प्रकट किया गया कि शासन के अधिकतर प्रशासनिक विभाग आडिट प्रक्रिया के प्रकरणों पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही नहीं करते हैं। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ता जनक है तथा इससे शासन की छवि धूमिल होती है। अतः यह अपेक्षा की गई है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी चिन्तनीय स्थिति विधान मण्डल की समितियों के समक्ष उत्पन्न न होने पाये।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिन निगमों/उपक्रमों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निगमों/उपक्रमों के बकाया लेखों को पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही है उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाय एवं कृत कार्यवाही से सार्वजनिक उद्यम विभाग को भी अवगत कराया जाय। कृपया इस सम्बन्ध में अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दें।

भवदीय,
[रवीन्द्र शंकर माथुर]

सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों से सम्बन्धित
प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव
(नाम से)

अ०स० पत्र सं० 701 (1)/44-2-95 तद्दिनांक

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति आपको भेजते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि बकाया लेखों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। इस सम्बन्ध में आपको यह स्पष्ट करना है कि इस कार्य में शिथिलता बरतने व रूचि न लेने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी इस सम्बन्ध में आपका यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि आप कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
[रवीन्द्र शंकर माथुर]

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के मुख्य कार्यकारी
अ०शा०प०सं० 701 (2)/44-2-95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) श्री प्रद्युम्न कुमार, संयुक्त सचिव, समिति (वित्त) अनुभाग विधान भवन।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साहू]
अनु सचिव।